

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(A-193) अलेसे-I/132

दिनांक:- 26.02.2021

कार्यालय आदेश

श्री आनन्द कुमार कालानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का विभागीय आदेश संख्या 482/2019-20 दिनांक 18.09.2019 द्वारा कार्यालय राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम, जयपुर से पुलिस आयुक्त मुख्यालय, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया है। तत्पश्चात् विभाग के आदेश क्रमांक 576 दिनांक 15.11.2019 द्वारा उक्त कार्मिक श्री आनन्द कुमार कालानी को प्री. 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु दल में कोषालय (पेंशन), जयपुर में लगाये जाने वाले आदेश को निरस्त कर निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर कार्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर में कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु श्री कालानी ने स्वयं की बीमारी के कारण नवस्थानान्तरित कार्यालय पुलिस आयुक्त मुख्यालय, जयपुर में कार्यग्रहण नहीं किया गया, जिसके कारण इन्होंने रूपान्तरित अवकाश एवं उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया है।

श्री आनन्द कुमार कालानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, वर्तमान कार्यालय-निदेशालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर के आवेदन के आधार पर निम्नानुसार अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

आवेदित अवकाश का प्रकार	आवेदित अवकाश की अवधि	विशेष विवरण
उपार्जित अवकाश	दिनांक 30.11.2019 से 05.01.2020, दिनांक 18.01.2020 से 31.01.2020, दिनांक 16.02.2020 से 21.02.2020, दिनांक 04.03.2020 से 06.03.2020, दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020, दिनांक 16.04.2020 से 14.05.2020, दिनांक 30.05.2020 से 31.05.2020 एवं 15.06.2020 से 24.06.2020 तक (कुल 111 दिवस)	
रूपान्तरित अवकाश	दिनांक 20.11.2019 से 29.11.2019, दिनांक 06.01.2020 से 17.01.2020, दिनांक 01.02.2020 से 15.02.2020, दिनांक 22.02.2020 से 03.03.2020, दिनांक 07.03.2020 से 21.03.2020, दिनांक 01.04.2020 से 15.04.2020, दिनांक 15.05.2020 से 29.05.2020, दिनांक 01.06.2020 से 14.06.2020 एवं दिनांक 25.06.2020 से 15.07.2020 तक (127 दिवस)	चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर

अतः दिनांक 01.12.2019 से दिनांक 15.07.2020 तक की अवधि का वेतन भुगतान कार्यालय निदेशक, निदेशालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही उक्त अवकाश की श्री कालानी की सेवापुस्तिका में अनिवार्य रूप से प्रविष्टि (लाल स्याही से) अंकित की जावे।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।


(महेश सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(A-193) अलेसे-I/132

दिनांक:- 26.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, निदेशालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
2. श्री आनन्द कुमार कालानी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-।, कार्यालय-निदेशालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. रक्षित निजी पत्रावली।


(कुसुम मीणा)

सहायक निदेशक (कार्मिक- I)